कक्षाः ग्यारह

भारत का संविधानः सिद्धान्त एवं व्यवहार

इकाई–1: संविधान

उप– इकाईः संवैधानिक संशोधन

सन् 2019 तक, भारतीय संविधान में कुल 103 संशोधन हो चुके हैं।

इकाई–2: चुनाव और प्रतिनिधित्व

उप–इकाईः भारतीय राजनीति में चुनावी सुधार

21 वीं शताब्दी में, चुनावी सुधार के अन्तर्गत ई॰वी॰एम॰ (इलेक्ट्रानिक वोंटिग मशीन), वीवीपीएटी (वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल) तथा नोटा (नन ऑफ द् अबव/उपरोक्त में से कोई नहीं) को सम्मिलित किया जाता है। एग्जिट पोल पर प्रतिबंध, चुनावी खर्च की सीमा (लोकसभा चुनाव के लिए 50–70 लाख रूपये तथा विधानसभा चुनाव के लिए 20–28 लाख रुपये) तथा चुनाव वित्त पोषण में चुनावी चन्दे का प्रयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा सुझाए गए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सुधार हैं जिसने समकालीन भारत की चुनावी प्रक्रिया तथा मतदाता व्यवहार मे क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का प्रयास किया है।

इकाई–5: न्यायपालिका

उप–इकाईः न्यायिक अतिरेक

जब न्यायपालिका शक्तियों के पृथक्करण सिद्धान्त की अनदेखी करते हुये विधायिका तथा कार्यपालिका के कार्यों का अधिग्रहण करती है तो इसे न्यायिक अतिरेक कहते है। न्यायपालिका द्वारा अनियंत्रित सक्रियता का परिणाम ही न्यायिक अतिरेक है।

हम सभी जानते है कि अनुच्छेद – 142 तथा न्यायिक समीक्षा का प्रयोग कई रचनात्मक कार्यो के लिए किया गया है, परन्तु कुछ क्रियाएँ जैसे कि एन॰जे॰ए॰सी॰ (राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग) को असंवैधानिक घोषित करना, क्योंकि इसने न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सीमित करने का प्रयास किया, जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति पर न्यायिक नियन्त्रण की आवश्यकता को इंगित करता है।

इकाई–6: संघवाद

उप–इकाई: 'अर्द्ध–संघवाद', 'सहकारी संघवाद', 'प्रतिस्पर्धी संघवाद'

अर्द्ध–संघवाद: के॰सी॰ व्हीयर द्वारा प्रतिपादित अर्द्ध–संघवाद की अवधारणा का प्रयोग भारतीय संघवाद के विशेष लक्षणों और प्रावधानों के संदर्भ में किया जाता है। अर्द्ध–संघवाद अपेक्षाकृत अशक्त इकाइयों के साथ एक सशक्त केन्द्र का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय परिस्थितियों में के॰ सी॰ व्हीयर अर्द्ध–संघवाद के स्वरूप को गौण एकात्मक विशेषताओं सहित संघीय राज्य के स्थान पर गौण संघीय लक्षणों सहित एकात्मक राज्य के रूप में वर्णित करते है।

सहकारी संघवाद: सहकारी संघवाद एक ऐसी संकल्पना है, जो केन्द्र व राज्यों के मध्य सम्बन्धों को दर्शाती है, जहाँ दोनों सरकारें मिलकर तथा एक–दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण सहयोग करते हुए समस्याओं का समाधान इस प्रकार करते है कि एक सशक्त संघ का विकास हो सके। यह संघ व राज्यों के मध्य क्षैतिज सम्बन्ध को दर्शाता है, जहाँ किसी को भी एक–दूसरे से ऊपर नहीं रखा गया है। केन्द्र व राज्यों के मध्य इन्हीं सशक्त सम्बन्धों को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान में कुछ निश्चित प्रावधानों व अभिकरणों का समावेश किया गया है जैसे अन्तर– राज्य परिषदें, क्षेत्रीय परिषदें, सातवीं अनुसूची आदि।

प्रतिस्पर्धी संघवाद: प्रतिस्पर्धी संघवाद, संघ के संदर्भ में सभी राज्यों को प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर एक समान स्थिति प्रदान करता है, जहाँ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य संसाधनों, सेवाओं व शुल्कों का अधिकतम लाभ ले सकता है।

यह श्रेष्ठतर प्रदर्शन और वितरण की ओर अग्रसर राज्यों के मध्य एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करता है, जो शासन का महत्वपूर्ण अंश है। उत्तर–उदारवाद का युग, प्रतिस्पर्धी संघवाद की प्रवृत्ति को दर्शाता है, जहाँ राज्य अपने कार्यो के प्रति अधिक स्वायत्त, उत्तरदायी व कुशल है।

कक्षाः ग्यारह

राजनीतिक सिद्धांत

इकाई– 2: स्वतन्त्रता

उप–इकाईः 'स्वतन्त्रता (लिबर्टी) बनाम स्वतन्त्रता (फ्रीडम)'

हम प्रायः स्वतंत्रता संकल्पना को फ्रीडम तथा लिबर्टी के समानार्थक शब्दों के रुप में प्रयोग होते हुए देखते हैं। परन्तु इन दोनों संकल्पनाओं के मध्य कुछ मूलभूत अंतर हैं जिन्हें समझना आवश्यक है। लिबर्टी लैटिन शब्द 'लिबर्टेटम' से आया है जिसका अर्थ है 'मुक्त व्यक्ति की स्थिति'। जबकि स्वतंत्रता (लिबर्टी) अंग्रेजी शब्द फ्रीडम से बना है जिसका अर्थ है 'मुक्त राज्य'।

लिबर्टी व्यक्ति की स्वयं की इच्छा के अनुसार कार्य करने तथा स्वयं को अभिव्यक्त करने की शक्ति है, जबकि फ्रीडम किसी के कार्य को निश्चित करने की शक्ति होती है। फ्रीडम, लिबर्टी से अधिक ठोस संकल्पना है। फ्रीडम, व्यक्ति के राज्य के साथ अन्य व्यक्तियों के साथ एवं परिस्थितियों के साथ संबद्ध संकल्पना है। राज्य लिबर्टी के माध्यम से अपने नागरिकों को फ्रीडम की गारंटी प्रदान करता है।

स्वतंत्रता (फ्रीडम)	स्वतंत्रता (लिबर्टी)
एक मुक्त व्यक्ति की स्थिति	स्वतंत्र इच्छा की अवस्था
कार्य करने की शक्ति	निर्णय लेने की शक्ति

कुछ करने के लिए स्वतंत्र	किसी से स्वतंत्र

इन दोनों संकल्पनाओं के मध्य एक सामान्य विशेषता यह है कि ये दोनों असंबंधित हैं, अर्थात एक–दूसरे की प्राप्ति में बाधा मुक्त है। इसके अतिरिक्त, दोनों अपने बोध के संदर्भ में नैतिक अनुरूपता का पालन करते है।

इकाई– 4: न्याय

उप–इकाई: 'न्याय के विभिन्न आयाम'

अब तक हमने यह समझने का प्रयास किया है कि न्याय शब्द का अर्थ क्या है। इस पर विचार करने के पश्चात हमें न्याय के विभिन्न आयामों को जानने की आवश्यकता है, जिससे हमें एक न्यायपूर्ण समाज स्थापित करने में सहायता मिल सके।

विधिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक न्याय, न्याय के प्रमुख आयाम है। यहाँ हम इन आयामों को कुछ विवरणों के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे—

1) **विधिक न्याय**: यह न्याय की एक संकीर्ण अवधारणा है जो विधि प्रणाली से सम्बद्ध है तथा समाज में विधिक प्रक्रिया के रुप में विद्यमान है। कोर्ट ऑफ लॉ विधि की व्याख्या करता है तथा विवाद में सम्मिलित वादियों के पक्ष–विपक्ष सुनने के पश्चात इसे अधिनियमित करता है। यहाँ, न्याय विधि न्यायालय द्वारा प्रशासित है तथा न्यायाधीश की व्याख्या को न्याय का प्रतीक माना जाता है।

2) **राजनीतिक न्याय**: किसी भी लोकतांत्रिक समाज में राजनीतिक न्याय का अर्थ है समान राजनीतिक अधिकारों को प्रदत्त करना। राजनीतिक न्याय राजनीतिक क्षेत्र में लोगो की स्वतंत्र तथा निष्पक्ष सहभागिता के लिए है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार राजनीतिक न्याय की अभिव्यक्ति है। सार्वजनिक

कार्यालयों में निर्वाचित होने के लिए अवसर की समानता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता राजनीतिक न्याय के महत्वपूर्ण स्तंभ है।

3) <u>सामाजिक न्याय</u>: इसका अर्थ है सभी प्रकार की सामाजिक विषमताओं को समाप्त करना तथा जीवन के समस्त क्षेत्रों में प्रत्येक नागरिक को उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसर सुनिश्चित करना, विधि की समानता प्रदत्त करना, भेदभाव निषेध करना, सामाजिक सुरक्षा निश्चित करना तथा समान राजनीतिक अधिकारों का प्रावधान करना। सामाजिक न्याय की अवधारणा इस विश्वास पर आधारित है कि सभी मनुष्य समान हैं तथा उनसे जाति, धर्म, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

4) <u>आर्थिक न्याय</u>: इसका अर्थ है सभी को उनके जीवनयापन के लिए समान अवसर प्रदान करना। इसका आश्य ऐसे लोगो की सहायता करना भी है, जो कार्य करने तथा अपनी आजीविका अर्जित करने में सक्षम नहीं हैं। प्रत्येक व्यक्ति की मौलिक आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र, आश्रय तथा शिक्षा की पूर्ति होनी चाहिए। यह समान कार्य के लिए समान वेतन, समान आर्थिक अवसर, संसाधनों का उचित वितरण आदि प्रावधानों के माध्यम से आजीविका के पर्याप्त साधनों का आश्वासन देता है।

जहाँ राजनीतिक न्याय की अवधारणा स्वतन्त्रता के आदर्श के साथ घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है, वहीं आर्थिक व कानूनी न्याय 'समानता' तथा सामाजिक न्याय 'भ्रातृत्व' के साथ संबंधित है। इन सभी का संयोजन न्याय के चारों आयामों को प्राप्त करने में सहायक होगा।

इकाई– 5: अधिकार

उप–इकाई: 'मानवाधिकार'

मानवाधिकार वे अधिकार हैं, जो व्यक्ति को मानव होने के कारण प्राप्त होते हैं। यह व्यक्ति के सम्मान के सिद्धांत पर आधारित हैं। मानव अधिकार के पीछे मौलिक अवधारणा यह है कि प्रत्येक व्यक्ति नीति युक्त एवं तर्कसंगत है एवं गरिमा के साथ व्यवहार किए जाने का अधिकारी है। मानव अधिकार सार्वभौमिक एवं मौलिक दोनों हैं। ये सार्वभौमिक हैं क्योंकि ये सभी मनुष्यों को समान रुप से प्रदान किये जाते हैं चाहे वे किसी भी नस्ल, राष्ट्रीयता, समुदाय, लिंग, पंथ आदि से क्यों न हों। ये मौलिक भी हैं क्योंकि एक बार प्रदान किए जाने के बाद इन्हें वापस नहीं लिया जा सकता है।

यद्यपि मानव अधिकारों की उपस्थिति को प्राचीन भारतीय दर्शन तथा संस्कृति में खोजा जा सकता है। औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1948 में विश्व के प्रत्येक व्यक्ति के लिए 30 अधिकारों की सूची के साथ की गई।

इकाई– 7: राष्ट्रवाद

उप–इकाई: 'बहुसंस्कृतिवाद'

सामान्य अर्थो में बहुसंस्कृतिवाद को विश्व के समस्त देशो में विभिन्न पंथों के अनुयायियों के समूह तथा समुदायों के सांस्कृतिक सह–अस्तित्व के रुप में देखा जाता है। 1970 के दशक में एक प्रतिवाद के रुप में उत्पन्न बहुसंस्कृतिवाद, जो अमेरिका तथा यूरोप की श्वेत संस्कृति के पक्ष में अन्य संस्कृतियो के समरूपीकरण का सांस्कृतिक तथा मानवाधिकार आंदोलनों के रुप में एक विरोध प्रकटीकरण था, 'स्वीकार्यता' तथा 'सम्मानियता' के सिद्धान्तों का एक व्यापक

संलयन है। यह विश्व के समस्त देशों को सांस्कृतिक समूह के लिए समान स्वीकृति तथा सम्मान देने की आशा करता है।

भारत के सन्दर्भ में, बहुसंस्कृतिवाद की संकल्पना की पहचान 'सलाद के कटोरे' की धारणा से की जाती है जिसका प्रतिपादन समाज–विज्ञानी आशीष नंदी द्वारा किया गया है जो यह दर्शाता है कि एक राष्ट्र के भीतर विभिन्न सांस्कृतिक समूह अपने सम्बद्ध रूपों के साथ–साथ अपनी विशिष्ट अस्मिता बनाए रखते हैं।

इकाई–9: विकास

उप–इकाई: 'संवृद्धि (Growth) तथा विकास (Development)'

यद्यपि अधिकांश व्यक्ति संवृद्धि (Growth) तथा विकास (Development) को एक समान मानते हैं। परन्तु दोनों में अंतर उल्लेखनीय है। संवृद्धि में आर्थिक प्रदर्शन के उपाय सम्मिलित हैं जैसे, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के संदर्भ में आय, व्यय का मूल्य, इत्यिादि। यद्यपि, आर्थिक विकास के उपाय आय के स्तर का विकृत दृश्य दे सकते हैं क्योंकि देश की जनसंख्या का छोटा सा भाग बड़ी मात्रा में संपत्ति का धारक हो सकता है जबकि देश की शेष जनसंख्या आय तथा संसाधनों के न्यूनतम स्तर के साथ रहती है। आर्थिक संवृद्धि विकास के एक पक्ष का ही बोध कराता है।

दूसरी ओर विकास सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक वृद्धि को संगठित एवं नियोजित प्रयासों के माध्यम से निर्धनता, अकाल, बीमारी, अशिक्षा, आर्थिक तथा औद्योगिक अल्पविकास की परिस्थितियों में परिवर्तन एवं संबोधन को संदर्भित करता है। जब हम विकास के व्यापक अर्थ को समझने का प्रयत्न करेंगे तो यह समाज में मनुष्यों के समग्र कल्याण से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक स्वस्थ तथा अग्रणी उत्पादक जीवन व निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी की स्वतंत्रता सम्मिलित है।

उप–इकाई: 'विकास के विभिन्न प्रतिमान'

बाजार प्रतिमान – इस प्रतिमान में यह माना जाता है कि सभी समाज विकास के पारंपरिक, संक्रमण–कालीन तथा आधुनिक चरण में परिवर्तन से गुजरते हैं। इसकी कुछ विशेषताओं में सम्मिलित हैं:

- यह राजनीतिक विकास को आर्थिक विकास की स्थिति मानता है ।
- यह सभी के विकास के आधार के रूप में व्यक्ति की स्वायत्तता, अधिकार तथा स्वार्थ का समर्थन करता है ।
- यह तीव्र औद्योगीकरण, तकनीकी प्रगति, आधुनिकीकरण, पूर्ण रोजगार तथा समाज, अर्थव्यवस्था एवं राजनीति के उदारीकरण की सतत् प्रक्रिया को इंगित करता है।

कक्षा: बारह

समकालीन विश्व राजनीति

इकाई–2: द्वि–ध्रुवीयता का अंत

उप–इकाई: 'अरब स्प्रिंग' (अरब क्रान्ति)

21वीं शताब्दी में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं तथा पश्चिम एशियाई देशों में लोकतांत्रिकरण के लिए नए विकास का उदय हुआ। इस प्रकार की एक परिघटना को अरब स्प्रिंग के रूप में जाना जाता है जिसका आरम्भ 2009 में हुआ। ट्यूनीशिया में प्रारम्भ हुए अरब स्प्रिंग ने अपनी जड़ें जमा लीं जहाँ जनता द्वारा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी तथा निर्धनता के विरुद्ध संघर्ष प्रारम्भ किया गया। यह संघर्ष एक राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया क्योंकि जनता तत्कालीन समस्याओं को निरंकुश तानाशाही का परिणाम मानती थी। ट्यूनीशिया में उदित लोकतन्त्र की मांग पश्चिम एशिया के मुस्लिम बहुल अरब देशों में फैल गई। होस्नी मुबारक, जो 1979 के पश्चात से मिस्र में सत्ता में थे, एक बड़े स्तर पर लोकतान्त्रिक विरोध प्रदर्शन के परिणामस्वरूप ध्वस्त हो गए। इसके अतिरिक्त अरब क्रान्ति का प्रभाव यमन, बहरीन, लीबिया तथा सीरिया जैसे अरब देशों में भी देखा

गया, जहाँ जनता द्वारा इसी प्रकार के विरोध प्रदर्शन ने पूरे क्षेत्र में लोकतान्त्रिक जागृति को जन्म दिया।

इकाई–3: शक्ति के नए केंद्र

उप–इकाई: 'ब्रिक्स'

'ब्रिक्स' शब्द क्रमशः ब्राज़ील, रूस, भारत, तथा दक्षिण अफ्रीका को संदर्भित करता है। 'ब्रिक्स' की स्थापना 2006 में रूस में की गई। वर्ष 2009 में अपनी प्रथम बैठक में दक्षिण अफ्रीका के समावेश के बाद 'ब्रिक', 'ब्रिक्स' में परिवर्तित हो गया। ब्रिक्स के प्रमुख उद्देश्य मुख्य रूप से प्रत्येक राष्ट्र की आंतरिक नीतियों तथा परस्पर समानता में अहस्तक्षेप के अतिरिक्त इसके सदस्यों के मध्य सहयोग तथा पारस्परिक आर्थिक लाभ का वितरण करना है। ब्रिक्स का 11वाँ सम्मेलन 2019 में ब्राज़ील में सम्पन्न हुआ जिसकी अध्यक्षता ब्राज़ील की राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने की।

उप–इकाई: 'रूस'

रुस अपने विघटन से पूर्व सोवियत संघ का सबसे वृहत भाग था। 1980 के दशक के अंत तथा 1990 के प्रारम्भ में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रूस, 'सोवियत समाजवादी संघ गणराज्य' (यू. एस. एस. आर.) के सबसे सशक्त उत्तराधिकारी के रूप में उदित हुआ। रुस के पास खनिजों, प्राकृतिक संसाधनों तथा गैसों का अपार भंडार है जो इसे वैश्विक पटल पर एक शक्तिशाली राज्य बनाते हैं। इसके अतिरिक्त, परिष्कृत शस्त्रास्त्रों के विशाल भंडार के साथ रूस एक परमाणु शक्ति सम्पन्न राज्य है। रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसे पी–5 भी कहा जाता है, का एक स्थायी सदस्य भी है।

उप–इकाई: 'भारत'

21 वीं शताब्दी के भारत को एक 'उदीयमान वैश्विक शक्ति' के रूप में देखा जा रहा है। एक बहुआयामी दृष्टिकोण से विश्व भारत की शक्ति तथा उसके उदय का अनुभव कर रहा है। लगभग 135 करोड़ की जनसंख्या वाले इस देश की आर्थिक, राजनीतिक, तथा सांस्कृतिक स्थिति बहुत सुदृढ़ है। आर्थिक परिप्रेक्ष्य से, 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य, एक विशाल प्रतिस्पर्धी व्यापार केंद्र, तथा सम्पूर्ण विश्व में 200 मिलियन भारतीय प्रवासियों के साथ भारत की प्राचीन समावेशी संस्कृति भारत को 21वीं शताब्दी में शक्ति के एक नए केंद्र के रूप में एक विशिष्ट अर्थ तथा महत्व प्रदान करती है। सामरिक दृष्टिकोण से, भारत की सैन्य शक्ति, परमाणु तकनीक के साथ इसे आत्मनिर्भर बनाती है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में 'मेक इन इंडिया' योजना भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बना सकती है। ये सभी परिवर्तन वर्तमान विश्व में भारत को शक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाते है।

उप–इकाईः 'इजराएल'

विश्व मानचित्र में एक बिन्दु के समकक्ष प्रतिबिंबित इजराएल, अर्थव्यवस्था के अतिरिक्त विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, रक्षा तथा गुप्तचर मामलों में 21वीं शताब्दी के विश्व में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उदित हुआ है। पश्चिम एशियाई देशों की ज्वलंत राजनीति के मध्य स्थित, इजराएल अपनी अदम्य क्षमता, रक्षा कौशल, तकनीकी नवाचार, औद्योगिकरण तथा कृषि विकास के कारण वैश्विक राजनीतिक क्षेत्र में नई ऊँचाइयों पर पहुंच गया है। प्रतिकूलता के विरुद्ध निरंतरता के सिद्धांत से मार्गदर्शित एक शूक्ष्म यहूदी–सियोनवादी राष्ट्र अर्थात इजराएल सामान्य रूप में समकालीन वैश्विक राजनीति में तथा विशिष्ट रूप में अरब–प्रभुत्वशील पश्चिम एशियाई राजनीति में एक विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करता है।

इकाई–5: संयुक्त राष्ट्र तथा उसके संगठन

उप–इकाई: 'युनेस्को' (UNESCO)

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) 4 नवंबर 1946 को स्थापित किया गया था। फ्रांस के पेरिस में अपने मुख्यालय के साथ, यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष निकाय है जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, समाज तथा मानवविज्ञान, संस्कृति तथा संचार को प्रोन्नत करना है। विगत अनेक वर्षों के मध्य, यूनेस्को द्वारा सदस्य देशों के मध्य साक्षरता के प्रसार, तकनीकी व शैक्षिक प्रशिक्षण तथा स्वतंत्र मीडिया आदि के प्रसार के लिए विशिष्ट कार्य किये गये हैं।

उप–इकाई: 'युनिसेफ' (UNICEF)

'संयुक्त राष्ट्र बाल कोष' (युनिसेफ़) की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1946 में एक निकाय के रूप में की गई थी। इसका मुख्य कार्य बच्चों के लिए आपातकालीन निधि एकत्रित करना तथा सम्पूर्ण विश्व में उनके विकास के कार्यों में सहायता करना है। इसके अतिरिक्त, युनिसेफ़ विश्व के समस्त भागों में बच्चों के स्वास्थ्य तथा उत्तम जीवन को सुनिश्चित करने वाले कार्यों में सहायता तथा प्रोत्साहन देता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में अपने मुख्यालय के साथ युनिसेफ़ विश्व के लगभग सभी 193 देशों में सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है।

उप– इकाई: 'अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन' (ILO)

'अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन' (आई. एल. ओ.) संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय है जिसकी स्थापना स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा मे अक्टूबर 1919 में की गई थी। इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय की कुशल स्थितियों को प्रोन्नत करना तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर श्रमिकों के लिए कार्य करना है। इसके अतिरिक्त, महिलाओं तथा पुरुष श्रमिकों को उत्पादक कार्य में संलग्न करने के

लिए प्रोत्साहन तथा कार्य स्थल पर उनके लिए सुरक्षा, समता तथा स्वाभिमान की स्थिति बनाना भी इस संगठन के कार्य है।

इकाई–6: समकालीन विश्व में सुरक्षा

उप इकाई: 'आतंकवाद'

आतंकवाद से तात्पर्य क्रूर हिंसा के व्यवस्थित प्रयोग से है जिससे समाज में भय का वातावरण बनता है। इसका उपयोग प्रमुखता से राजनीतिक–पांथिक उद्देश्यों के अतिरिक्त कई अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है:

- आतंक का एक व्यवस्थित प्रयोग, प्रायः हिंसक, विशेष रूप से दबाव के साधन के रूप में।
- हिंसात्मक कार्य जिनका उद्देश्य एक निश्चित पांथिक, राजनीतिक अथवा वैचारिक लक्ष्य के लिए भय (आतंक) उत्पन्न करना; तथा विदित रुपेण नागरिकों की सुरक्षा को लक्षित करना अथवा उसकी अवहेलना करना है।
- अवैधानिक हिंसा तथा युद्ध करना।

विश्व में एक भी राष्ट्र ऐसा नहीं है जो आतंकवाद से पीड़ित नहीं है। यद्यपि कुछ देशों ने आतंकवाद को अच्छे तथा बुरे आतंकवाद में विभाजित करने का प्रयास किया है परन्तु भारत ने इस भेद से सदैव असहमति दिखाई है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्पष्ट किया है कि आतंकवाद अच्छे या बुरे में विभाजित नहीं किया जा सकता; यह एक वैश्विक समस्या है तथा इसका प्रतिकार सामूहिक रूप से किया जाना चाहिए।

कक्षा: बारह

स्वतंत्र भारत में राजनीति

इकाई– 1: राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ

उप–इकाई: 'पटेल तथा राष्ट्रीय एकता'

भारत के प्रथम उप–प्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल 1918 के खेड़ा सत्याग्रह तथा 1928 के बारदोली सत्याग्रह के पश्चात स्वतन्त्रता आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में उभरे।

स्वतन्त्रता के समय रजवाड़ों के एकीकरण की समस्या राष्ट्रीय एकता व भारत की अखंडता के लिए एक बड़ी चुनौती थी। ऐसे कठिन समय में सरदार पटेल ने सभी 565 देसी रियासतों के एकीकरण के साहसी कार्य का उत्तरदायित्व लिया। सभी देसी रियासतों के स्वतंत्र भारत में विलय को लेकर, भारत में लौह–पुरुष के नाम से विख्यात, सरदार पटेल का दृष्टिकोण स्पष्ट था। वे भारत की क्षेत्रीय अखंडता को लेकर कोई समझौता नहीं चाहते थे। उनके राजनीतिक अनुभव, कूटनीतिक कौशल तथा दूरदर्शिता के कारण 565 में से कई रियासतें भारत की स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले ही भारत में विलय के लिए अपनी सहमति दे चुकी थीं।

सरदार पटेल को एकीकरण में मुख्यतः तीन राज्यों – हैदराबाद, जूनागढ़ तथा कश्मीर द्वारा चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हीं के नेतृत्व में भारतीय सेनाओं ने हैदराबाद तथा जूनागढ़ को भारत में विलय के लिए बाध्य किया। पाकिस्तान की मंशा, जो कि जिन्ना के विभाजनकारी 'द्वि–राष्ट्र सिद्धान्त' पर आधारित थी, से भली–भांति परिचित होने के कारण, सरदार पटेल की कश्मीर पर राय अन्य नेताओं से भिन्न थी। हैदराबाद की भांति वे कश्मीर को भी सैन्य अभियान के द्वारा ही भारत में मिलाना चाहते थे। परन्तु कुछ महत्वपूर्ण नेताओं के अदूरदर्शी राजनीतिक निर्णयों के कारण सरदार पटेल कश्मीर का भारत में पूरी तरह से विलय कराने में सफल नहीं हो पाए। तथापि सरदार पटेल सदैव एक ऐसे अद्भुत नेता के रुप में जाने जाते रहेंगे जो स्वयं में राष्ट्रवाद, परिवर्तक तथा यथार्थवाद के सम्मिश्रण थे जिन्हें भारतीय राजनीतिक इतिहास में एनसीआर (NCR – Nationalist Catalyst, Realist) के रूप में जाना जाता है।

इकाई– 2: नियोजित विकास

उप–इकाई: 'नीति आयोग'

स्वतन्त्रता के पश्चात भारत के नियोजित विकास के लिए, समाजवादी प्रतिमान पर आधारित 'योजना आयोग' की स्थापना की गई। परंतु वैश्वीकरण के युग में तथा विशेष रूप से 21वीं शताब्दी में विकास की दबाव पूर्ण चुनौतियों का सामना करने में यह निष्प्रभावी तथा अप्रासंगिक होता जा रहा था। अतः 15 अगस्त 2014 के अपने स्वतन्त्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने योजना आयोग को समाप्त किए जाने की बात की। केन्द्रीय सरकार को केंद्र व राज्य स्तर की नीतियों के निर्माण में आवश्यक व तकनीकी परामर्श देने के उद्देश्य से 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर 'नीति आयोग' का गठन किया गया।

भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन सभापति है तथा वे नीति आयोग के उपसभापति की नियुक्ति करते हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया थे। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा तथा आर्थिक नीतियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने तथा सामरिक क्षेत्र में नीतिसंगत कार्यक्रमों का दीर्घकालिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से नीति आयोग केंद्र सरकार के 'वैचारिक केंद्र' अथवा 'प्रबुद्ध मण्डल' के रूप में कार्य करता है। 'ऊर्ध्वमुखी दृष्टिकोण' (Bottom Up Approach) को अंगीकार करते हुए तथा देश के समस्त राज्यों की समान भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए नीति आयोग सहकारी संघवाद के भाव से कार्य करता है।

इकाई– 3: भारत के विदेश संबंध

उप–इकाई: भारत–इजराएल संबंध

यद्यपि भारत तथा इजराएल के मध्य ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धों को पुरातन समय से ही देखा जा सकता है, परन्तु दोनों के मध्य कूटनीतिक संबंध औपचारिक रूप से 1992 में भारत में इजराएल के दूतावास की स्थापना से पश्चात विकसित हुए।

परन्तु दोनों देशों के मध्य औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित होने के पश्चात भी, इनके मध्य सम्बन्धों में सुदृढ़ता 1996 तथा 1998 में भारत में एनडीए सरकार की स्थापना के बाद ही आई। दोनों लोकतान्त्रिक देशों के मध्य सरकार के प्रमुखों की यात्राओं के पश्चात दोनों के मध्य संबंध और अधिक प्रगाढ़ हुएः 2017 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इजराएल तथा 2018 में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत की यात्रा की। दोनों राष्ट्रों ने सांस्कृतिक आदान–प्रदान, सुरक्षा एवं सैन्य, आतंकवाद विरोधी, अन्तरिक्ष अनुसंधान, जल एवं ऊर्जा तथा कृषि विकास के क्षेत्रों में व्यापक सहयोग प्रारम्भ किया है।

उप–इकाईः 'भारत का परमाणु कार्यक्रम'

भारत की परमाणु नीति सदैव ही शांति–उन्मुख रही है, जिसका स्पष्ट प्रभाव 'प्रथम प्रयोग नहीं' (No First Use) की नीति में स्पष्ट होता है। परन्तु समकालीन क्षेत्रीय सुरक्षा संबंधी चुनौतियों के कारण, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत की क्षेत्रीय व राष्ट्रीय सुरक्षा के अनुरूप 'प्रथम प्रयोग नहीं' नीति की समीक्षा की जा सकती है तथा इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। इसके साथ ही भारत परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह में स्वयं की सदस्यता प्राप्त करने के लिए भी प्रतिबद्ध है तथा व्यापक परमाणु प्रतिबंध संधि (CTBT) व परमाणु अप्रसार संधि (NPT) जैसी भेदभावपूर्ण तथा अन्यायपूर्ण नाभिकीय संधियों का भी विरोध करता है।

उप–इकाईः 'लोकतान्त्रिक अभ्युत्थान'

देश की लोकतान्त्रिक राजनीति में जनता की बढ़ती सहभागिता को लोकतान्त्रिक अभ्युत्थान के रूप में इंगित किया जाता है। इस सिद्धान्त के आधार पर, समाज विज्ञानी भारत के स्वातंत्र्योत्तर इतिहास में तीन लोकतान्त्रिक अभ्युत्थानों का वर्णन करते हैं।

प्रथम लोकतान्त्रिक अभ्युत्थान को 1950 के दशक से 1970 के दशक तक चिह्नित किया जा सकता है जो केंद्र व राज्य दोनों की लोकतान्त्रिक राजनीति में भारतीय वयस्क मतदाताओं की बढती सहभागिता पर आधारित था। पश्चिम के इस मिथक को मिथ्या सिद्ध करते हुए कि एक सफल लोकतन्त्र आधुनिकीकरण, नगरीकरण, शिक्षा तथा मीडिया पहुँच पर आधारित होता है, संसदीय लोकतन्त्र के सिद्धान्त पर लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं में चुनावों के सफल आयोजन ने भारत के प्रथम लोकतान्त्रिक अभ्युत्थान को सार्थक किया।
1980 के दशक में समाज के निम्न वर्गों यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की बढ़ती राजनीतिक सहभागिता को योगेन्द्र यादव द्वारा 'द्वितीय लोकतान्त्रिक अभ्युत्थान' के रूप में व्याख्यायित किया गया है। इस सहभागिता ने भारतीय राजनीति को इन वर्गों के लिए अधिक अनुग्राही तथा सुगम बना दिया है। यद्यपि इस अभ्युत्थान ने इन वर्गों, विशेषतः दलितों, के जीवन स्तर में कोई व्यापक परिवर्तन नहीं किया है, परन्तु संगठनात्मक तथा राजनीतिक मंचों पर इन वर्गों की सहभागिता ने इनके स्वाभिमान को सुदृढ़ तथा देश की लोकतान्त्रिक राजनीति में इन वर्गों के सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने का अवसर प्रदान किया है।

1990 के दशक के प्रारम्भ से उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण के युग (LPG – Liberalization, Privatization, Globalization) को एक प्रतिस्पर्धी बाजार समाज के उद्भव के लिए उत्तरदायी माना जाता है, जिसमें अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीति के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। उदारीकरण का यह दशक 'तृतीय लोकतान्त्रिक अभ्युत्थान' के लिए मार्ग प्रशस्त करता है।

तृतीय लोकतान्त्रिक अभ्युत्थान एक प्रतिस्पर्धी चुनावी राजनीति का प्रतिनिधित्व करता है जो 'श्रेष्ठतम की उत्तरजीविता' (Survival of the Fittest) के सिद्धान्त पर आधारित ना होकर 'योग्यतम की उत्तरजीविता' (Survival of the Ablest) पर आधारित होता है। यह भारतीय चुनावी बाजार में तीन परिवर्तनों को रेखांकित करता है: राज्य से बाजार की ओर, सरकार से शासन की ओर तथा नियंत्रक राज्य से सुविधाप्रदाता राज्य की ओर। इसके अतिरिक्त तृतीय लोकतान्त्रिक अभ्युत्थान ने उस युवा वर्ग की सहभागिता को इंगित किया है जो भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण भाग हैं तथा भारत की समकालीन लोकतान्त्रिक राजनीति में अपनी बढ़ती चुनावी प्राथमिकता की दृष्टि से विकास तथा प्रशासन दोनों के लिए वास्तविक परिवर्तक के रूप में उदित हुआ है।

इकाई – 5: लोकतांत्रिक पुनरुत्थान

उप–इकाई: 'जय प्रकाश नारायण तथा समग्र क्रांति'

(नवीनीकरण / Updates)

जय प्रकाश नारायण अपने तीन प्रमुख योगदानों के लिए जाने जाते हैं – भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष, सामुदायिक समाजवाद का सिद्धांत तथा 'समग्र क्रांति' के प्रवर्तक।

स्वातंत्र्योत्तर भारत में जय प्रकाश नारायण ऐसे प्रथम नेता थे जिन्होंने मुख्यतः गुजरात और बिहार में युवा सहभागिता द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक वृहत अभियान आरंभ किया। उन्होंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध लोकपाल संस्था का पक्ष समर्थन किया। सामुदायिक समाजवाद का उनका सिद्धांत समुदाय, क्षेत्र एवं राष्ट्र के त्री–स्तरीय रुप में एक यथार्थ संघ का उदाहरण उदृत करते हुए भारत को समुदायों के एक समाज के रुप में दृष्टिगत करता है।

उपरोक्त सिद्धांतों पर आधारित अपने 'समग्र आंदोलन' के माध्यम से जय प्रकाश नारायण व्यक्ति, समाज तथा राज्य के रुपांतरण का प्रतिपादन करते हैं। समग्र क्रांति के लिए उनका आह्वान नैतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा

पारिस्थितिकीय रुपांतरण के समावेशन की पहल है। उनका राजनीतिक रुपांतरण लोकतांत्रिक राजनीति में प्रतिनिधियों को वापिस बुलाने के अधिकार, ग्राम्य/मौहल्ला समितियों के महत्व तथा देश की स्वच्छ राजनीति में ऊपर के लोगों/विशिष्ट वर्गों को राजनीतिक संघर्ष में सम्मिलित होने का आह्वान है।

जय प्रकाश नारायण के अनुसार इस रुपांतरण का मूलतत्व 'व्यक्ति' है जो भारत में परिवर्तन का प्रमुख द्योतक है।

उप–इकाईः 'राम मनोहर लोहिया तथा लोकतांत्रिक समाजवाद'

राम मनोहर लोहिया भारत में समाजवाद के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक प्रतिपादक रहें हैं। समाजवाद को लोकतंत्र से सम्बद्ध करते हुए उन्होंने 'लोकतांत्रिक समाजवाद' के विचार का प्रतिपादन किया। लोहिया भारतीय समाज में पूंजीवाद तथा साम्यवाद दोनों को ही समान रुप से अप्रसांगिक मानते थे। उनके लोकतांत्रिक समाजवाद के दो सिद्धांत थे – भोजन एवं शरण के रुप में आर्थिक उद्देश्य तथा लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता के रुप में गैर–आर्थिक उद्देश्य।

लोहिया ने चौबुर्ज राजनीति का प्रतिपादन किया जिसमें उन्होंने राजनीति तथा समाजवाद के चार स्तम्भों का वर्णन किया जो परस्पर एक दूसरे से सम्बद्ध हैं। ये चार स्तम्भ हैं – केन्द्र, क्षेत्र, जिला एवं ग्राम्य। सकारात्मक कार्यवाही को प्रधानता देते हुए लोहिया का मत है कि यह सिद्धांत न केवल अशक्त लोगों के लिए होना चाहिए अपितु महिलाओं और गैर–धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए।

लोकतांत्रिक समाजवाद तथा चौबुर्ज राजनीति के सिद्धांतों पर आधारित लोहिया 'समाजवादी दल' (Party of Socialism) का पक्ष समर्थन करते हैं जो सभी दलों के विलय का एक प्रयास है। लोहिया के अनुसार समाजवाद दल तीन प्रतीकों पर आधारित होगा – कुदाल (प्रयास का प्रतीक), मत (मताधिकार का प्रतीक), बंधनग्रह (सम्रपण का प्रतीक)।

उप–इकाईः 'दीन दयाल उपाध्याय तथा एकात्म मानववाद'

पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक दार्शनिक, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री तथा राजनीतिज्ञ थे। उनके दर्शन को 'एकात्म मानववाद' कहा जाता हैं जो एक 'स्वदेशीय सामाजिक–आर्थिक प्रतिमान' का प्रतिपादन है जहाँ मानव विकास का केन्द्र होता है। व्यक्ति तथा समाज की आवश्यकताओं के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए प्रत्येक मानव के लिए एक गरिमामयी जीवन सुनिश्चित करना एकात्म मानववाद का उद्देश्य है। एकात्म मानववाद प्राकृतिक संसाधनों के समपोषित उपभोग का समर्थन करता है जिससे इन संसाधनों की पुनःपूर्ति हो सके। यह न केवल राजनीतिक अपितु आर्थिक तथा सामाजिक लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता को भी बढाता है। चूंकि यह सिद्धांत विविधता का संवर्धन करता है, भारत जैसे विविध राष्ट्र के लिए यह श्रेष्ठकर है।

एकात्म मानववाद का दर्शन निम्न तीन सिद्धांतों पर आधारित हैः

- **समग्रता की प्रधानता**
- **धर्म की सर्वोच्चता**
- **समाज की स्वायतता**

पंडित दीनदयाल उपाध्याय पश्चिमी 'पूंजीवादी व्यक्तिवाद' तथा 'मार्क्सवादी समाजवाद' दोनों के विरोधी थे। उनके अनुसार पूंजीवादी तथा समाजवादी विचारधाराएँ केवल मानव शरीर और मस्तिष्क की आवश्यकताओं पर ही बल देती हैं, अतः ये भौतिकवादी उद्देश्य पर आधारित हैं जबकि मानव के समग्र विकास के लिए आध्यात्मिक विकास भी उतना ही आवश्यक है जो पूंजीवाद और समाजवाद दोनों में अनुपस्थित है। आंतरिक चेतना, पवित्र मानवीय आत्मा पर आधारित अपने दर्शन जिसे चित्ति कहते हैं, दीनदयाल उपाध्याय एक वर्गविहीन, जातिविहीन तथा संघर्षमुक्त सामाजिक व्यवस्था की परिकल्पना करते हैं।

इकाई–7: क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

उप–इकाई: 'कश्मीर विषय'

भारतीय संघ में एकीकरण के साथ ही, कश्मीर स्वातंत्र्योत्तर भारत का एक ज्वलंत विषय बना रहा है। समस्या तब और जटिल हो गई जब इसे अनुच्छेद 370 तथा अनुच्छेद 35–ए के माध्यम से संविधान में एक विशेष स्थान दिया गया — अनुच्छेद 370 ने इसे पृथक संविधान/संविधान सभा/ध्वज, मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री के रूप में तथा राज्यपाल का सदर–ए–रियासत के रूप में नव नामाकंन, राज्य में अधिकांश संघीय नियमों का गैर–प्रवर्तन जैसे विशेष अधिकार प्रदान किए, जबकि अनुच्छेद 35–ए इसे विशेष नागरिकता अधिकार प्रदान करते हुए गैर–कश्मीरियों द्वारा राज्य में संपत्ति–क्रय को वर्जित करता है। जम्मू और कश्मीर राज्य की विशेष स्थिति के विरुद्ध एक संविधान, एक ध्वज तथा राज्य/सरकार के एक प्रमुख के रूप में 'एक विधान, एक निशान, एक प्रधान' का प्रसार करते हुए राजनीतिक क्षेत्र में अनुच्छेद 370 तथा 35–ए को निरस्त करने का आह्वान किया गया।

इस पृष्ठभूमि में वर्तमान सरकार ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से धारा 370 तथा 35–ए के उन्मूलन हेतु राज्यसभा में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक प्रस्तुत किया। लोक सभा ने इस विधेयक को 6 अगस्त 2019 को पारित किया गया। 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात, धारा 370 तथा 35–ए को निरस्त कर दिया गया तथा जम्मू और कश्मीर दो केंद्र–शासित प्रदेशों, लद्दाख तथा जम्मू और कश्मीर, में विभक्त हो गया।

इकाई– 8: भारतीय राजनीतिः प्रवृत्तियाँ एवं विकास

उप–इकाई: 'राजग (एनडीए)'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को मई 2014 के लोकसभा चुनावों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ और भारतीय राजनीति में लगभग 30 वर्षों के पश्चात केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। यद्यपि राजग (एनडीए) कहा जाने वाला 2014 का भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन अपने पूर्ववर्ती गठबंधन सरकारों से बड़े स्तर पर भिन्न था। जहां पूर्ववर्ती गठबंधन एक राष्ट्रीय दल के नेतृत्व में होते थे, वहीं राजग गठबंधन ना केवल एक राष्ट्रीय दल अर्थात भाजपा के मार्गदर्शन में कार्य कर रहा था अपितु यह लोकसभा में एक पूर्ण बहुमत प्राप्त दल के प्रभुत्व के रुप में भी था। इसे एक 'अतिरिक्त बहुमत गठबंधन' भी कहा गया। इस अर्थ में गठबंधन राजनीति की प्रकृति में एक बड़ा परिवर्तन देखा जा सकता है जो एक दलीय नेतृत्वशील गठबंधन के स्थान पर एक दलीय प्रभुत्वशील गठबंधन के रूप में दृष्टिगत होता है।

स्वतन्त्रता के पश्चात 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 में पुनः भाजपा के नेतृत्व में राजग 543 में से 350 से अधिक स्थानों पर विजय प्राप्त करके सत्ता के केंद्र में आता है। स्वयं भाजपा ने इस लोकसभा चुनाव में 303 सीटों पर विजय प्राप्त की, जो 1984 में इन्दिरा गांधी की हत्या के पश्चात काँग्रेस को मिली अप्रत्याशित विजय के पश्चात निम्न सदन में किसी एक दल द्वारा विजित अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। 2019 में भाजपा की इस अप्रत्याशित सफलता के आधार पर, समाज विज्ञानियों ने समकालीन दलीय व्यवस्था को 'बीजेपी व्यवस्था' के रूप में परिभाषित करना प्रारम्भ कर दिया है, जिसमें भारतीय लोकतान्त्रिक राजनीति में 'काँग्रेस व्यवस्था' की भांति एक दलीय प्रभुत्व का युग दर्शित होना प्रारम्भ हो गया है।

उप–इकाईः 'विकास व सुशासन के वाद–विषय'

2014 के पश्चात भारतीय राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन जाति व पंथ आधारित राजनीति का विकास व सुशासन उन्मुख राजनीति की ओर स्थानांतरण है। 'सबका साथ, सबका विकास' के अपने पूर्व इच्छित लक्ष्य के साथ, राजग सरकार ने विकास तथा सुशासन को जनता के लिए सुलभ बनाने के उद्देश्य से विभिन्न

सामाजिक–आर्थिक कल्याणकारी योजनाएँ प्रारम्भ की हैं, यथा—प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, जन–धन योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, किसान फसल बीमा योजना, 'बेटी पढ़ाओ, देश बढ़ाओ', आयुष्मान भारत योजना आदि।

इन सभी योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों, विशेषकर महिलाओं, को केंद्र सरकार की योजनाओं का वास्तविक लाभार्थी बनाकर सामान्य जन के द्वार तक प्रशासन पहुंचाना रहा है। विभिन्न राज्यों के मतदाता – जातियों, वर्गों, समुदायों, लिंग तथा क्षेत्रों से ऊपर उठकर विकास और सुशासन के विषयों को केंद्रीय मंच पर लाने में सफल हुए ।